सत्यमेव जयते

# कलाकृति

वार्षिक पत्रिका (2020-21)

दिल्ली नगर कला आयोग

# कलाकृति

## तृतीय अंक (2020-21)


**संरक्षक**

श्रीमती रुबी कौशल
सचिव, दि.न.क.आ.

**परामर्शदाता**

राजीव गौड़, सहायक सचिव (तकनीकी)

**संपादक**

कल्पना देवानी, हिंदी अनुवाद अधिकारी
उप-सम्पादक
रेनू बस्सी, सहायक

**सहायक**

सुनीता रानी, उच्च श्रेणी लिपिक
राजबीर सिंह, हिन्दी टंकक

संपादकीय पता
दिल्ली नगर कला आयोग
कोर 6 ए, यू जी एवं प्रथम तल
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003


**अनुक्रमणिका**


संदेश
संपादकीय

सरस्वती वंदना
हिंदी लिखते समय कृपया ध्यान दें
हम इतना तो कर सकते हैं
राजभाषा अधिनियम 1963

पत्रिका का विमोचन

राजभाषा हिंदी संगोष्ठी

आयोग के कार्मिकों के लेख/कविताएं

**अजित पई**
**अध्यक्ष, दि.न.क.आ.**

# संदेश

**हिंदी आज किसी प्रदेश विशेष की भाषा ना होकर समूचे भारत के जन-जन की भाषा है और अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर अपना वर्चस्व कायम कर विश्व भाषा बनने की ओर अग्रसर है ।**

**पत्रिका के प्रकाशन से कार्मिकों की रचनात्मक क्षमता तो विकसित होती है, साथ ही यह हिंदी के प्रचार-प्रसार में भी सहायक सिद्ध होता है । पत्रिका के माध्यम से हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बल मिलेगा और कार्मिकों की रचनात्मक प्रतिभा विकसित होगी।**

**(अजित पई)**
**अध्यक्ष**

**मनदीप सिंह**
**सदस्य, दि.न.क.आ.**

# संदेश

हिंदी पत्रिकाओं के प्रकाशन से कार्मिकों में हिंदी लेखन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और समर्पण उजागर होता है और ऐसा हिंदी वातावरण सृजित होगा जिससे आयोग में राजभाषा हिंदी का उत्तरोतर प्रगामी प्रयोग बरकरार रहेगा । इससे दैनिक कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बल मिलता है और हिंदी का उत्तरोतर प्रयोग सुनिश्चित होता है । पत्रिका के माध्यम से भाषा के विकास में सहयोग मिलता है ।

पत्रिका के सफल प्रकाशन के लिए मेरी शुभकामनाएं ।

मनदीप सिंह

**(मनदीप सिंह)**
**सदस्य**

**आशुतोष कुमार अग्रवाल**
**सदस्य, दि.न.क.आ.**

# संदेश

हिंदी आज किसी प्रदेश विशेष की भाषा ना होकर समूचे भारत के जन-जन की भाषा है और अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर अपना वर्चस्व कायम कर विश्व भाषा बनने की ओर अग्रसर है । आज भारत वर्ष की राजभाषा होने के नाते हम सब का नैतिक और संवैधानिक दायित्व है कि हम सब अपना दैनिक सरकारी कार्य राजभाषा हिंदी में निष्पादित करें ।

मैं कामना करता हूं कि यह पत्रिका निरंतर सफलता के नए क्षितिजों को हासिल करती रहे और हिंदी का प्रचार-प्रसार कर पाठकों में हिंदी के प्रति जागरुकता की भावना को सृजित करती रहे ।

आशुतोष

**(आशुतोष कुमार अग्रवाल)**
**सदस्य**

**निवेदिता पांडे**
**सदस्य, दि.न.क.आ.**

# संदेश

आयोग में हिंदी भाषा में कार्य करने के लिए हिंदी पत्रिका का प्रकाशन प्रेरणा स्वरुप है । पत्रिका के माध्यम से हिंदी भाषा का प्रचार-प्रसार होता है तथा कामकाज में रुचि पैदा करने का कार्य भी सहज हो जाता है । पत्रिका के माध्यम से भाषा के विकास में सहयोग मिलता है ।

पत्रिका के सफल प्रकाशन के लिए मेरी शुभकामनाएं ।

निवेदिता पांडे

**(निवेदिता पांडे)**
**सदस्य**

**कामरान रिज़्वी**
**सदस्य,दि.न.क.आ.**

# संदेश

**यह पत्रिका निश्चय ही कार्मिकों में सृजनात्मक और वैचारिक लेखन को बढ़ावा देने के साथ-साथ सरकार की राजभाषा नीति के क्रियांवयन में प्रेरणा का स्रोत सिद्ध होगी। यह पत्रिका हिंदी के प्रचार व प्रसार में निश्चित रुप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी ।**

**इस पत्रिका के प्रकाशन से जुड़े समस्त कार्मिकों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं ।**

कामरान

**(कामरान रिज़्वी)**
**सदस्य**

**रुबी कौशल**

**सचिव, दि.न.क.आ.**

# संदेश

**जहां भारत अपनी संस्कृतिक विविधता के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है, वहीं इस विविधता के बावजूद आपसी एकता इसकी अनूठी पहचान भी है । भारत में जितनी भाषायी विवधता है वो शायद किसी दूसरे देश में हो । 'कलाकृति' पत्रिका का मुख्य उद्देश्य आयोग में कार्यरत कर्मियों की छुपी हुई रचनात्मक प्रतिभा को उजागर करने के लिए एकमंच उपलब्ध करवाया जा सके तथा उनको हिंदी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए । आयोग के कार्मिक अपना दैनिक सरकारी काम-काज राजभाषा हिंदी में शत-प्रतिशत निष्पादित करने की वचनबद्धता को बनाए रखते हुए कलाकृति पत्रिका में अपनी लेखनी की प्रतिभा के माध्यम से जो रचनाएं प्रकाशित कर रहे हैं, मैं उसके लिए शुभकामनाएं देती हूं ।**

**(रुबी कौशल)**

**सचिव**

**राजीव कुमार गौड़**
**सहायक सचिव (तकनीकी), दि.न.क.आ.**

# संदेश

**भारत जैसे विशाल देश में सरकार एवं जनता के बीच परस्पर समन्वय, बेहतर समझ और तालमेल स्थापित करने मे प्रयुक्त, हिंदी भाषा का 'राजभाषा' के रुप में अभिषेक किया गया । अत: हमारा नैतिक एवं सवैधानिक दायित्व है कि हम अपना संम्पूर्ण सरकारी काम-काज राजभाषा हिंदी में निष्पादित करें । मुझे आशा है कि यह पत्रिका पाठकों के लिए उपयोगी सिद्द होगी और कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों में जहां एक ओर लेखन प्रतिभा बढ़ाकर उनके विचारों को मुखरित करेगी, वहीं दूसरी ओर उनमें अधिकाधिक सरकारी कार्य हिंदी में करने की प्रवृति भी विकसित करेगी।**

**पत्रिका के इस अंक के सफल प्रकाशन के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।**

राजीव गौड़

**(राजीव गौड़)**
**सहायक सचिव (तकनीकी)**

# सरस्वती वंदना

या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता
या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना ।
या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा पूजिता
सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा ॥

**हे शारदे मां, हे शारदे मां,**
**अज्ञानता से हमें तार दे मां ।**
**तू स्वर की देवी ये संगीत तुझसे**
**हर स्वर तेरा हर गीत तेरा**
**हम हैं अकेले हम हैं अधूरे**
**तेरी शरण हम, हमें प्यार दे मां ।**
**हे शारदे मां, हे शारदे मां,**
**अज्ञानता से हमें तार दे मां।**

**मुनियों ने समझी गुनियों ने जानी**
**वेदों की भाषा वेदों की वाणी ।**
**हम भी तो समझें, हम भी तो जानें**
**विद्या का हमको अधिकार दे मां ।**
**हे शारदे मां, हे शारदे मां,**
**अज्ञानता से हमें तार दे मां ।**

**तू श्वेतवर्णी कमल पर विराजे,**
**हाथों में वीणा मुकुट सिर पर साजे**
**मनसेहमारे मिटा के अंधेरे**
**हमको उजालों का संसार दे मां ।**
**हे शारदे मां, हे शारदे मां,**
**अज्ञानता से हमें तार दे मां ।**

# हिंदी लिखते समय कृपया ध्यान दें !

- पत्र लिखने में सरल हिंदी का प्रयोग करें ताकि उसे सभी आसानी से समझ सकें ।
- पत्राचार में आम शब्दों का ही अधिक से अधिक प्रयोग होना चाहिए । हिंदी की बोलियों के प्रचलित शब्दों का प्रयोग करने मे हिचक नहीं होनी चाहिए ।
- अच्छी हिंदी जानने वाले कभी-कभी उन लोगों की कठिनाई नहीं समझ पाते जिन्होंने हाल ही में थोड़ी बहुत हिंदी सीखी है। ऐसे लोगों को इनकी कठिनाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए और अपने पांडित्य का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए।
- हिंदी के वाक्यों में संस्कृत के कठिन शब्दों का अनावश्यक प्रयोग न करें तथा अंग्रेजी की वाक्य संरचना से बचें अर्थात वाक्य रचना हिंदी की प्रकृति के अनुसार ही होनी चाहिए । वह अंग्रेजी मूल का अटपटा अनुवाद नहीं होना चाहिए ।
- जहाँ कहीं भी यह लगे कि पढ़ने वाले को हिंदी में लिखे किसी शब्द या पदनाम को समझने में कठिनाई हो सकती है, तब कोष्ठक में अंग्रेजी रूपान्तर भी लिख देना उपयोगी रहेगा ।
- टिप्पण एवं प्रारूपण में अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों, जैसे-बैंक, चेक, गारंटी, पेंशन, पासबुक आदि को देवनागरी लिपि में लिप्यंतरित करके लिखना सभी के हित में होगा ।
- शब्दों में एकरूपता बनाए रखने के लिए वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग अथवाअपने कार्यालय द्वारा बनाई गई प्रशासनिक शब्दावली का ही प्रयोग करें ।
- हिंदी के कार्य करने की शुरूआत छोटी-छोटी टिप्पणियों को हिन्दी में लिखकर करनी चाहिए ।
- अंग्रेजी में सोचकर हिंदी में नहीं लिखना चाहिए । कोशिश तो हिंदी में सोचकर हिंदी में लिखने की होनी चाहिए ।

# हम इतना तो कर सकते हैं

- **हिंदी में हस्ताक्षर करें ।**
- **हिंदी पत्रों का उत्तर हिंदी में दें ।**
- **हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त करें ।**
- **हिंदी भाषी राज्यों को भेजे जाने वाले लिफाफे पर पते हिंदी में लिखें ।**
- **परिपत्र, प्रशासनिक रिपोर्ट, प्रेस विज्ञप्ति, करार, निविदा प्रपत्र, निविदा सूचना को अनिवार्य रूप से हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी करें ।**
- **मुलाकाती कार्ड, रबर स्टाम्प, नाम पट्ट, डीओ लैटर हैड दोनों भाषाओं (हिंदी और अंग्रेजी) में बनवाएं और उसका प्रयोग करें ।**
- **विभाग कवर, स्टेशनरी आदि पर कम्पनी का नाम दोनों द्विभाषी में ही दें ।**
- **हिंदी में हस्ताक्षरित अंग्रजी के पत्रों का उत्तर भी हिंदी में ही दें ।**
- **उपस्थिति विवरण, जन्मदिन, बधाई पत्र,फार्म भरना इत्यादि काम हिंदी में करें।**
- **हिंदी प्रतियोगिताओं में भाग लें ।**
- **हिन्दी पुस्तकालय की पुस्तकों, समाचार पत्र व पत्रिकाओं का लाभ उठाएँ ।**
- **हिन्दी कार्ड की सहायता से छोटी-छोटी टिप्पणियाँ लिखने का प्रयास करें ।**
- **फाइलों के ऊपर विषय हिंदी-अंग्रेजी में लिखें ।**
- **अपने साथियों को हिंदी में काम करने की प्रेरणा दें ।**

## राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के तहत निम्नलिखित दस्तावेज़ अनिवार्य रुप से द्विभाषी (हिंदी और अग्रेज़ी) में जारी किए जाएं

1. संकल्प
2. सामान्य आदेश
3. नियम
4. अधिसूचनाएं
5. प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्ट
6. प्रेस विज्ञपतियां
7. संसद के समक्ष किसी सदन या दोनों सदनों में प्रस्तुत की जाने वाली प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्ट
8. संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज़
9. संविदाएं
10. करार
11. अनुज्ञप्तियां
12. अनुज्ञापत्र
13. टेंडर नोटिस
14. टेंडर फार्म

# आयोग में राजभाषा की प्रतिबद्धता

भारत सरकार की राजभाषा नीति के अंतर्गत आयोग में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग को उत्तरोतर बल मिला है । राजभाषा के प्रगामी प्रयोग की प्रगति को पराकाष्ठा तक पहुंचने को प्रतिबद्धता के चलते जो कार्य किए जा रहे हैं उनमें से कुछ उल्लेखनीय बिंदु इस प्रकार हैं :-

- राजभाषा हिंदी कार्यों के निष्पादन के प्रति वचन बद्धता तथा कार्यों के निष्पादन में आ रही व्यवहारिक कठिनाइयों का ठोस विश्लेषण किया गया ।
- राजभाषा के संवैधानिक तथा नीतिगत पहलुओं के प्रति सभी कार्मिकों को जागरुक एवं समर्पित कर हिंदी में कार्य करने का माहौल तैयार करते हुए प्रभावी एवं व्यवहार कुशल कार्यशालाओं का आयोजन प्रत्येक तिमाही में किया जा रहा है ।
- हिंदी में पत्र व्यवहार, टिप्पण एवं आलेखन के कार्यों के लिए निर्धारित लक्ष्य शत-प्रतिशत प्राप्त किए जाने के प्रयासों के चलते 97% तक पत्राचार हिंदी में किया जा रहा है।
- कम्प्यूटर पर टंकण कार्य को सुनिश्चित करने के लिए यूनीकोड पर विशेषज्ञ आंमत्रित कर कार्यशालाओं का आयोजन किया गया ।
- द्विभाषी वेबसाईट पर हिंदी के कार्यों को अद्यतन किया गया ।
- आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में आयोजित राजभाषा सलाहकार समिति की सभी त्रेमासिक बैठकों तथा माननीय मंत्री महोदय की अध्यक्षता में होने वाली हिंदी सलाहकार छमाही बैंठकों में लिए गए निर्णयों पर अमल किया जा रहा है, आयोग में राजभाषा हिंदी के कार्यों की समीक्षा की जा रही है ।
- दिल्ली नगर कला आयोग का यह संकल्प है कि राजभाषा हिंदी में शत-प्रतिशत कार्य करने के प्रयासों की ओर अग्रसर रहेगें ।

# राजभाषा संबंधी नियम

| | |
|---|---|
| निमय 3 (1), (4) | केन्द्रीय सरकार के क्षेत्र 'क' 'ख' में स्थित कार्यालयों से क्षेत्र 'क' में किसी राज्य या संधराज्य क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार के कार्यालय को छोड़कर किसी अन्य कार्यालय या व्यक्ति को पत्रादि, असाधारण दशा को छोड़कर हिंदी में भेजे जाएं । |
| | **Communication from Central Government Offices located in region A, B to any office of a State or Union Territory in Region A or to any office (not being a Central Government Office) or person in such State or Union Territory should be sent in Hindi save in exceptional circumstances) and if any communication is issued to any of them in English. It should be accompanied by a Hindi translation thereof.** |
| 1963 की धारा 3 (3) | संकल्प, साधारण आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक या 1963 की धारा 3(3) प्रेस विज्ञप्ति सभी दस्तावेज और संसद के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले कागज़ पत्र, संविदा करार, परमिट और टेंडर तथा प्रारुप आदि हिंदी तथा अंग्रेजी दोनो भाषाओं में जारी किये जायें । |
| | **Resolutions, general orders, Rules, Notifications, Administrative Reports or 3 (3) of clause 1963 other Reports or Press communiqués. Papers laid before the Parliament, Contacts and agreements license permit, notices and forms of tender issued should be issued in both in Hindi, English.** |
| नियम 5 | हिन्दी में पत्र आदि का उत्तर, चाहे वे किसी भी क्षेत्र से प्राप्त हों और किसी भी राज्य सरकार, व्यक्ति या केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से प्राप्त हों, हिंदी में दिया जाए। |
| | **Replies to communications received in Hindi whether they are received from any region or from any State Government, individual or from Central Government Office, should be in Hindi.** |

| | |
|---|---|
| नियम 6 | दस्तावेज़ो पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का यह उत्तरदायित्व है कि वह यह सुनिश्चित कर ले कि वह पैरा 1.16 में उल्लिखित दस्तावेज़ों हिंदी और अंग्रेजी दोनो में तैयार याजारी की गई है । |
| | **It is the responsibility of the person signing such documents as mentioned in para 1.16 above to ensure that such documents are made, executed or issued both in Hindi and in English.** |
| नियम 7 | कोई कर्मचारी आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिन्दी या अंग्रेजी में कर सकता है । यदि कोई कर्मचारी अपना आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिंदी में करता है या उस पर हिंदी में हस्ताक्षर करता है तो उसका उत्तर हिंदी में दिया जाए । |
| | **An official may submit an application, appeal or representation in Hindi or in English. If any official makes his application, appeal or representation in Hindi or appends his signature on it in Hindi then it should be replied to in Hindi.** |
| नियम 8 (1) | उपर्युक्त को छोड़कर कोई कर्मचारी किसी फाइल पर टिप्पणी या कार्यवृत्त हिंदी या अंग्रेजी में लिख सकता है और यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह उसका अनुवाद दूसरी भाषा में प्रस्तुत करें । |
| | **Except those mentioned above, an employee may record a note or minute on a file in Hindi or in English without being himself required to furnish a translation thereof in the other language.** |
| नियम 8 (2), (3) | केन्द्रीय सरकार का कोई भी कर्मचारी जो हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखता है, हिन्दी में किसी दस्तावेज़ के अंग्रेजी अनुवाद की मांग तभी कर सकता है जब वह दस्तावेज़ विधिक या तकनीकी प्रकृति के हों इसका निर्णय कार्यालय प्रमुख करेगा । |
| | **No central government employee possessing a working knowledge of Hindi may ask for an English translation of any document in Hindi, except in the case of documents of legal or technical nature. If any question arises as to whether** |

**a particular document is of a legal or technical nature, it shall be decided by the Head of the Department of Office.**

**नियम 8 (4)**

**केंद्र सरकार आदेश द्वारा ऐसे केंद्र सरकार के कार्यालयों को निर्दिष्ट कर सकती है, जिनमें अस्सी प्रतिशत कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है और जिन्हें राजभाषा नियम 10(4) के तहत अधिसूचित किया गया है, जहां केवल हिंदी का उपयोग बिना ड्राफ्टिंग के लिए किया जाएगा और ऐसे कार्यालयों के लिए अन्य आधिकारिक उद्देश्य जो हिंदी में प्रवीणता रखने वाले कर्मचारियों द्वारा आदेश में निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।**

**The Central Government may by order specify such Central Government Offices, wherein eighty percent of the staff have acquired working knowledge of Hindi and which have been notified under Official Languages rule10 (4), where Hindi alone shall be used for nothing drafting and for such other official purposes as may be specified in the order by employees who possess proficiency in Hindi.**

**नियम 9**

**किसी कर्मचारी के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त कर ली है, यदि उसने-मैट्रिक परीक्षा या समतुल्य या उससे ऊंची कोई परीक्षा हिन्दी माध्यम से उत्तीर्ण कर ली है । अथवा स्नातक परीक्षा में अथवा स्नातक परीक्षा के बराबर या उससे ऊंची किसी परीक्षा में हिन्दी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया था, ऊंची कोई परीक्षा हिन्दी माध्यम से उत्तीर्ण कर अथवा वह रा0 भा0 नियम में संलग्न प्ररूप में यह धोषणा करता है कि उसे हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है ।**

**An Employee shall be deemed to possess proficiency in Hindi if: -**
**he has passed the Matriculation or any equivalent or higher examination with Hindi as the medium of examination; or**
**He has taken Hindi as an elective subject in the degree or any other examination equivalent to or higher than the degree, examination: or**
**He declares himself to possess proficiency in Hindi in the form annexed to these rules.**

**नियम 10** **कार्यसाधक ज्ञान**

**मैट्रिक परीक्षा या उसके समतुल्य या ऊंची परीक्षा हिन्दी विषय के साथ उत्तीर्ण कर ली है या-केन्द्रीय सरकार के हि. सि.यो. के अंतर्गत आयोजित प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है,या यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी विशिष्टपदों के संबंध में उस योजना के अंतर्गत कोई निम्नतर परीक्षा विनिर्दिष्ट हैं ।**

**केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी विशिष्ट पदों के संबंध में उस योजना के अंतर्गत कोई निम्नतर परीक्षा विनिर्दिष्ट हैं या**

**वह राष्ट्रीय भाषा नियम के संलग्न प्ररूप में यह घोषणा करता है कि उसने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है ।**

**An Employee shall be deemed to have acquired a working knowledge of Hindi if he has passed: -**

**The Matriculation or an equivalent or higher examination with Hindi as one of the subjects: orthe Pragya examination conducted under the Hindi Teaching Scheme of the Central Govt. or when so specified by that Govt. in respect of any particular category of posts, any lower examination under that scheme; or**

**Any other Examination specified in that behalf by the Central Govt; or If he declares himself to have acquired such knowledge in the form annexed to these rules.**

**नियम 10 (4)** **केन्द्रीय सरकार ऐसे कार्यालयों को, जिनमें कार्य करने वाले कर्मचारियों में से 80 प्रतिशत ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है और जो रा.भा. नियम 10(4) के अधीन अधिसूचित किये जा चुके हैं, विनिर्दिष्ट कर सकती है कि उनमें ऐसे कर्मचारियों द्वारा जिन्हें हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है, टिप्पणी प्रारूपण और ऐसे अन्य शासकीय प्रयोजनों के लिए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट जाएं केवल हिंदी का प्रयोग किया जाएगा ।**

**The Central Government may by order specify such Central Government Offices, wherein 80% of the staff have acquired working knowledge of Hindi and which have been notified under Official Languages Rule 10(4), where Hindi alone shall be used for nothing drafting and for such other official purposes as may be specified in the order by employees who possess proficiency in Hindi.**

**नियम 11**

**सभी मेनुअल संहिता और प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य हिन्दी और अंग्रेजी में द्विभाषी रूप में मुद्रित या साइकलो स्टाइल किया जाए या प्रकाशित किया जाए**

**All manuals, codes and other procedural literature should be printed or cyclostyled or published in Hindi and in English in Diglot form.**

**(ख) केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग किये जाने वाले रजिस्ट्रों के प्ररूप और शीर्षक हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हो।**

**The forms and headings of registers used in any Central Government Office should be both in Hindi and English.**

**(ग) केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग केलिए सभी नामपट्ट पत्र शीर्ष और लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख तथा लेखन सामग्री की अन्य मदें हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखी जाएं व मुद्रित कीजाएं।**

**All name plates, signboards, letterheads and inscriptions on envelopes and other items of stationery should be written, printed or inscribed both in Hindi and English.**

**यदि केन्द्रीय सरकार ऐसा करना आवश्यक समझती हैं तो वह साधारण या विशेष आदेश द्वारा केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय को इस नियम के सभी या किन्हीं उपबन्धों में छूट दे सकती है।**

**Provided that the Central Government may, if considered necessary to do so by general or special order exempt any Central Government Office from all or any of the provisions of this rule.**

**नियम 12 (1)**

**केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करें कि राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियम के आबधों का समुचित रूप से अनुपालन हो रहा है और इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त और प्रभावकारी जांच ले उपाय करें ।**

**It is the responsibility of the administrative head of each Central Government office to ensure that the provisions of the Official Languages Act and the Official Language Rules are properly complied with and to devise suitable and effective check points for this purpose.**

# आयोग की पत्रिका का विमोचन

**अधिकारिक भाषा के उपयोग को प्रोत्साहित करने और कर्मचारियों को अपनी रचनात्मक प्रतिभा को व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान करने की दृष्टि से, दिल्ली नगर कला आयोग ने 'कलाकृति' शीर्षक से माह सितम्बर 2020 को पत्रिका का विमोचन किया । इस अवधि का द्वितीय अंक आयोग द्वारा जारी किया गया ।**

**राष्ट्रभाषा के प्रचार को मैं राष्ट्रीयता का अंग मानता हूं**

**- डॉ राजेंद्र प्रसाद**

**सितम्बर माह के दौरान निबंध प्रतियोगिता आयोजन किया गया।**

**हिंदी एक संगठित करने वाली शक्ति है ।**
**हिंदी का प्रचार कार्य एक वायुयज्ञ है ।।**

**--काकासाहिब गाडगिल**

**हिंदी प्रोत्साहन माह समापन, मंच प्रतियोगिता तथा कार्यशाला आयोजन दिनांक 29.09.2020 को सांय 3.00 बजे आयोजित किया गया । कोविड-19 महामारी के चलते सोशल डिस्टेंसिंग और मॉस्क का ध्यान रखा गया ।**

**हिंदी विश्व की सरलतम भाषाओं में है ।**

**आचार्य क्षितिमोहन**

**दिनांक 9.10.2020 को कोविड-19 जागरुकता पर शपथ ली गई । केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों, मानक प्रचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) को ध्यान में रखा गया ।**

1. सदैव मुहँ और नाक पर अच्छे से मास्क (तीन लेयर वाला) लगाना चाहिए ।
2. कम से कम 20 सेकन्ड तक हाथ धोएं ।
3. हैंड एवं सेनिटाइजर का इस्तेमाल करें ।
4. एक-दूसरे से उचित दूरी बनाई रखें ।
5. हाथ नहीं मिलाएं ।
6. भीड़-भाड़ से बचें ।

**दिनांक 13.11.2020 को आयोग के कार्मिकों को कोविड मुक्त और स्वस्थ रहने के लिए हवन पूजन का आयोजन किया गया ।**

**दिल्ली नगर कला आयोग की राजभाषा कार्यांवयन समिति**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | श्रीमती रुबी कौशल | सचिव, दि.न.क.आ., अध्यक्ष, रा.का.स. |
| 2. | श्री राजीव कुमार गौड़ | सहायक सचिव (तकनीकी), दि.न.क.आ.,सदस्य सचिव,रा.का.स. |
| 3. | श्रीमती मंजु अंजलि | वास्तुक सहायक, दि.न.क.आ. सदस्य, रा.का.स |
| 4. | श्रीमती रेनू बस्सी | सहायक, दि.न.क.आ., सदस्य, रा.का.स. |
| 5. | श्रीमती कल्पना देवानी | हिन्दी अनुवादक, दि.न.क.आ., सदस्य, रा.का.स. |

19 मार्च, 2021 शुक्रवार प्रात: 11.00 बजे हिन्दी कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला ''राजभाषा हिन्दी का प्रचार-प्रसार तथा अनुवाद सॉफ्ट्वेयर/टूल कंठस्थ से संक्षिप्त परिचय'' पर आधारित थी ।

श्री राजेश श्रीवास्तव, उप-निदेशक (राजभाषा/तकनीकी), गृह मंत्रालय, ने कार्यशाला में संम्बोधित किया ।

दिनांक 31.3.2021 को आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होने पर विदाई समारोह अध्यक्ष महोदय स्वयं उपस्थित थे, अन्य सद्स्यों ने वीडियो कॉनफ्रेंसिंग के ज़रिये समारोह में भाग लिया ।

**08 अप्रैल 2021 को नवगठित आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों का स्वागत। नवीन अध्यक्ष श्री अजित पई तथा आयोग के सदस्य श्री आशुतोष कुमार अग्रवाल, प्रो0 (डा.) मनदीप सिंह का स्वागत करते हुए आयोग की सचिव श्रीमती रुबी कौशल।**

# आयोग के कार्मिकों द्वारा लिखे गए निबंध और कविताएं

## यू आर ए फाईटर वूमन

**नारी तुम केवल श्रद्धा हो,**
**इसे बस पुस्तक तक रहने दो,**
**आज तुम मात्र कल्पना नहीं,**
**हकीकत में जीने वाली वीरागंना हो ।**
**कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली,**
**अर्धांगिनी भी तुम हो,**
**सारा बोझ अकेले उठाने वाली वीर बालिका भी तुम..**
**हर क्षेत्र में टक्कर लेने वाली ॥**
**प्रत्येक दौड़ में आगे निकलने वाली,**
**सभी परीक्षाओं में पार पाने वाली,**
**दुश्मन को पछाड़ गिराने वाली,**
**घर भी, बाहर भी, धरती में, आकाश में ।**
**अर्श पर भी, फर्श पर भी,**
**विजय प्राप्त की है तूने,**
**खेल हो या राजनीति, सबसे जीत गई हो तुम,**
**अब ये तो कुछ भी नहीं, जीत जाओगी,**
**विजय पाओगी क्योंकि वूमन यू आर ए फाईटर ॥**

**कल्पना देवानी**

**दिल्ली नगर कला आयोग**

# प्रकृति का वार

वूहान से उत्पन्न जीवाणु जब विश्व में छाया
मानव जाति की नींव को झंझोर कर हिलाया।
विश्व के प्रगतिशील देशों ने घुटने टेक
जब प्रकृति ने अपना अलग ही रुप दर्शाया।
इससे पहले ऐसा दृश्य कभी ना देखा
जब अदृश्यशत्रु ने विश्व की प्रगति को थमाया।
पहली बार पशु जंगलो से निकल सड़कों पे आये नज़र
यह देखने कि शक्तिशाली इंसान लॉकडाउन के पिंजरे में कैसे गए जकड़ ।
आकाश की नीलिमा को तो अब तक चित्रों में ही पाया
वास्तव में नीला आकाश सदियों बाद नज़र आया ।
कोरोना ने अमीर व गरीब में किया ना कोई भेदभाव
जब महलों और झोपड़ो दोनों में डाला अपना पड़ाव।
वर फ्रॉम होम में झाड़ू कटका भी शामिल है
कोरोना ने आत्म निर्भर परिवार का मतलब समझाया।
अखबारों में अब तक खबरें पढ़ कर सहानुभूति जताया
जब आपदा घ्रर तक पहुंचा तो नाज़ुक जीवन और
कांच में कोई अंतर नज़र नहीआया ।
प्रकृति से छेड़छाड़ का यही होगा अंजाम
मानवता को प्रकृति ने फिर एक बार समझाया ।

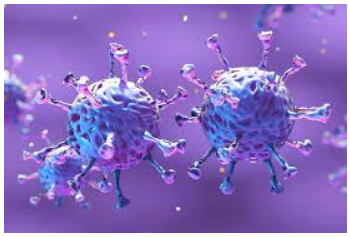

अमित मुखर्जी
कनसल्टंट

# कोरोना काल जन-जन बेहाल

**परिचय:**

कोरोना यानि कोविड-19 ने पूरे देश में तबाही मचा रखी है । यह महामारी घोषित की जा चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने इसे महामारी का नाम दिया है । अभी तक इस बीमारी ने इटली, फ्रांस, अमेरिका, भारत आदि सभी देशों में भूत संकट की स्थिति उत्पन्न हो गयी हैं। यह बीमारी चीन के वुहान शहर से दिसम्बर 2019 को आई थी जो कि भारत में फ़रवरी 2020 तक पहुँच चुकी थी।

**इसकी उत्पति:**

1940 में यह एक मुर्गी में पायी गयी थी,1960 में एक व्यक्ति में इस बीमारी को देखा गया, जिसे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। बाद में यह 2019 में बहुत से देशों में भयंकर रूप ले चुकी थी।

**महामारी के लक्षण:**

यह बीमारी बहुत ही भयंकर रूप ले चुकी है। मानव के बाल का 900 गुना है जो कि किसी व्यक्ति के दूसरे से सम्पर्क में आने से होती है। इसमें सूखी खांसी, जुकाम, गले में खराश, किडनी फ़ेल हो जाना आदि है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। खाँसने और छिंकने से जो बुँदे फैलती हैं उससे दूसरा व्यक्ति में भी इसके लक्षण जल्द ही नज़र आने लगते हैं। इस बीमारी से अभी तक देशों में एक करोड़ तीस लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है। क्योंकि सभी देश इसकी द्वाई इजात करने में लगे हैं, यह द्वाई मनुष्य पर दिसम्बर 2020 के अंत तक लगाने की उम्मीद है। सभी देशों की इस द्वाई का इंतज़ार हैं । भारत में ओर देशों की अपेक्षा मृत्यु दर बहुत कम है।

**कोरोना के दौरान प्रधानमंत्री जी द्वारा लॉकडाउन:-**

हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंदर मोदी जी ने 24 मार्च, 2020 से पूरे देश में लॉकडाउन घोषित कर दिया गया था। लॉकडाउन का अर्थ है 'कफ़्र्यू लगाना', इसका अर्थ है न कोई बाहर जाएगा और न कोई जन सम्पर्क में आएगा। इस बीमारी को एक दूसरे में ट्रान्सफर को रोकने का यही एकमात्र उपाय था, कफ़्र्यू लगाने का अर्थ सभी मनुष्य अपनी जिंदगी को बचा सकें।

**जन जन बेहाल:**

इस महामारी के संकट के कारण सभी लोगों पर जैसे विपदा आन पड़ी । सभी सामाजिक कार्यों का बंद हो जाना, जैसे स्कूल, विश्व विद्यालय, संस्थान, ऑफिस सभी अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिये गए। इतिहास गवाह हैं की ऐसा पहले कभी नहीं हुआ की रेल यातायात अनिश्चित कालीन के लिए बंद कर गए हों । सभी हवाई मार्ग, अंतर्राष्ट्रीय बस सेवा को बंद करना पड़ा । जो जहां था वो वहीं ठहर गया । फैक्टरी, प्राइवेट ऑफिस, होटल इंडस्ट्री, चलचित्र सभी स्थानों को बंद कर दिया गया । इस कोरोना काल से गरीब बहुत प्रभावित हुआ, सबसे ज्यादा परेशानी मजदूरों और फैक्टरी में कार्य करने वाले वेर्कर्स को आई । वह अपने परिवार का पालन पोषण करने में असमर्थ दिखे और उनके पास खाना खाने तथा अपने घर का किराया देने तक के पैसे नहीं बचे । मजबूर होकर उन लोगों ने अपने घर जाने का मन बना लिया और अपने अपने परिवारों को लेकर अपने गॉव लौटने लगे । बसों के बंद हो जाने से सभी लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा । लोगों का जन जीवन ठप सा हो गया । ना किसी से मिलना जुलना, ना कोई मनोरंजन । सभी लोग निराशा के दलदल में फँसने लगे । कोई अपने घर जाने को बैचेन तो कोई खाने के लिए तरस रहा था।

सरकार ने सोशल डिस्टन्सिंग का पालन करने के लिए ज़ोर दिया जिसमें 5-6 फुट की दूरी रखना बेहद जरूरी था । कोविड-19 के patients के लिए सभी हॉस्पिटल तैयार करवाये गए और डार्क्टस को भी तैयार रहने के लिए बोला गया । सभी डॉक्टरस, Nurses ने बढ़ चढ़ मरीजों की सेवा की । शुरू-शुरू में जब लॉक डाउन लगा तो लोग जो कभी अपने परिवारों के साथ समय नहीं बिता पाते थे उन्होने खूब एंजॉय किया और अपने परिवार बच्चों के साथ खुशी बनती तो किसी ने किचन में तरह तरह के वयंजन बनाकर अपनी ये अदा भी पेश की।

**जॉब समाप्ति:**

लॉकडाउन में बहुत से लोगों की नौकरियों चली गयी क्योंकि फैक्ट्रीज़ के मालिक और प्राइवेट ऑफिस के मालिकों के पास उन सबको पैसे देने के लिए पैसे नहीं थे। Banquet Hall बंद हो गए जिसके कारण उनसे जुड़े बहुत से कर्मियों की नौकरी जाती रही।

**शादियों का रुक जाना:**

लोगों ने अपने बच्चों की शादियों के लिए हाल, टेंट, कटरोर्स आदि सब बुक कर रखे थे वह सब कार्य बंद हो गए । सरकार की अर्थव्यवस्था भी चरमरा कर रह गयी । लोगों के पैसे फंस गए और शादियों का कार्य भी अधर में रह गया।

**सरकार की अर्थव्यवस्था:**

सरकार की अर्थव्यवस्था भी बहुत नीचे आ गयी, पर ओर देशों की तुलना में भारत ने मृत्यु दर पर बहुत कंट्रोल किया और राष्ट्रहित के लिए सभी जन जन को निर्देश दिये कि किस तरह से इस बीमारी से बचना हैं और औरों को भी बचाना है।

**<u>सोनू सूद की पहल :</u>**

जब इस महामारी के कारण सभी मजदूर अपने घर जाने को आतुर हो रहे थे उस समय फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता "सोनू सूद" जी ने इन सबकी मदद के लिए पहल कि। इन सब लोगों को अपने घर पहुंचाया और अब वह नोएडा में फ़ैक्टरियों में इन लोगों को दोबारा से नौकरी दिलाने कि भी कोशिश कर रहे हैं।

**<u>योगी जी:</u>**

योगी जी भी यूपी में सभी लोगों को खाने पीने नौकरी देने का आश्वासन दिया और इन सब को रहने कि व्यवस्था भी कि। उनका यह कार्य सराहनीय है।

**<u>उपसंहार:</u>**

"कोरोना से डरना नहीं,
इसको डराना है और,
अपने देश से इसको भगाना हैं।"

निश्चित ही यह बीमारी बहुत मुश्किले लेकर आई है। पर लोगों ने साथ रहना, बड़े बुज़ुर्गों कि सेवा, बच्चों के साथ समय व्यतीत करना सीखा। जो लोग बाहर खाना खाने के आदि थे वह भी घर पर खाना खाने लगे। फिर से परिवार एक दूसरे से जुड़कर रहने लगे। आपस में खुशियों बांटने लगे।

डॉक्ट्रस को भी बहुत सम्मानित नज़रों से देखने लगे बल्कि नर्सों ने patients कि बहत सेवा की, मरीज उनसे खुश होकर ठीक होने लगे । माननीय नरेंद्र मोदी जी ने डॉक्टरस के लिए दिये जलवाये, घंटियाँ बजवायी और सभी लोगों ने इसमें बढ़चढ़ कर भाग लिया।

**अलका धीर**
**निजी सचिव**

**हिंदी का प्रचार कार्य एक वायु यज्ञ है**
**-काका साहिब गाडगिल**

# पहेलियां

लड़ना चाहती हूं मैं भी अपनों से
पर डरती हूं जीत गयी तो हार जाऊंगी ।

आहिस्ता-आहिस्ता सब समझने लगी हूं
मैं भी अब पहेलियां बुझाने लगी हूं
कल तक मेरे सवालों के जवाब नहीं थे
आज सवाल भी खुद से और जवाब भी खुद को देना होता है
अब मेरे आगाज़ का अंत खूबसूरत हो ।

अब मैं भी धीरे-धीरे सयानी होने लगी हूं
मैं भी अब पहेलियां बुझाने लगी हूं
अपनों की खुशियों की छांव में रहने लगी हूं
और मुश्किलों से दोस्ती करने लगी हूं
मैं परिपूर्ण नहीं हूं, लेकिन आधी भी नहीं हूं
मेरा वजूद क्या है, अब मैं समझने लगी हूं
क्योकि अब मैं भी पहेलियां बुझाने लगी हूं ।

**रेनू बस्सी**
**प्रशासनिक समन्वयक**

# कथित आरोप, फिर भी मैं चला

कथित आरोप,फिर भी मैं चला,
हार नहीं मानी, करता रहा भला ।
मेरा करम, मेरी मेहनत बढ़ती ही गयी,
निष्ठा,समर्पण के साँचे मे मैं हूँ ढला ॥

पता नही क्यू,कई आँखों को चुभा मैं,
दायित्व निभाते हुए बहुतों को हूँ खला ।
पास न भटकने दूँ नेगेटिविटी और आलस को,
बचपन से चुनोतियों से लड़कर हूँ पला ॥

आलोचना और निंदा से घेरा गया कई बार,
लोग क्यूँ नाराज़ हुए,पता भी ना चला ।
साफ सुथरा दामन ले कर निकाल आया हर बार,
मेरा साई मेरे संग हर कदम पर चला ॥

झूठ,फरेब,लालच के जाल न भर्माएंगे मुझे,
मैं नेक,भले संस्कारों के साथ हूँ पला ।
यह भारत की माटी तिलक चन्दन मेरा ,
इसी पावन माटी में यह जिस्म है ढला ॥

आओ फिर मिल बैठ कर नयी शुरुआत करें,
बुराइयों से कभी किसी का हुआ है क्या भला?
तुम मेरी सुनो,मैं तुम्हारी सुनू और सोचें,
चलो तरक़्क़ी का शुरू करें, नया एक सिलसिला ।
कथित आरोप, फिर भी मैं चला ॥

**सिद्धार्थ सागर**
**वास्तुक सहायक**

# वर्तमान डिजिटल शिक्षा प्रणाली बनाम छात्र, अभिभावक और शिक्षा

शिक्षा का महत्व इसी से लगाया जा सकता है" विद्या सर्वश्रेष्ठ धन है "प्रत्येक अपने जीवन काल में कहीं न कहीं से शिक्षा का अर्जन करता है । शिक्षा का प्रभाव व्यक्ति के आत्मविश्वास एवं उसके व्यक्तित्व पर अवश्य ही झलकता है । लगभग एक दो दशक पूर्व अगर किसी कक्षा के दृश्य की बात करें तो ब्लैक बोर्ड और चाक के बिना कक्षा अधूरी होती थी । लेकिन आज के समय ब्लैक बोर्ड को स्मार्ट स्क्रीन्स ने स्थानांतरित कर दिया है ।

डिजिटल शिक्षा के कई लाभ हैं जहाँ छात्रों के विज्ञान, गणित के कठिन शीर्षक शीघ्र ही समझ आने लगे, वहीं शिक्षक को आसानी से समझाना भी सुविधाजनक हो गया । अचानक से आयी यह 'कोरोना महामारी' ने देश-विदेश हर जगह ऐसे पाँव पसारे की मनुष्य की जान के साथ साथ उसकी दैनिक क्रियायें, अर्थव्यवस्था और यहाँ तक कि शिक्षा तक खतरे में आ गयी । "आवश्यकता ही अन्वेषन की जननी है" ठीक ही कहा गया है । कोरोना की वजह से जब रोज़मर्रा की जिंदगी की रफ़्तार कम हुई तब ही डिजिटल शिक्षा का नया रूप सबको देखने को मिला और यह नया रूप है - ऑनलाइन शिक्षा । जब कोई तकनीकी संसाधनों का उपयोग कर के शिक्षा को अर्जित करता है और उसका शिक्षक वहाँ विडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अन्य किसी माध्यम से जूड़ा है । तो वह क्रिया ऑनलाइन शिक्षा कही जाएगी । ऑनलाइन शिक्षा की कई लाभ है और कई हानियां भी । इस प्रक्रिया से सभी प्रभावित हुए है । शिक्षक, छात्र अभिभावक सभी पर इसका असर देखा जा सकता है ।

**डिजिटल शिक्षा प्रणाली बनाम छात्र**:- शिक्षा को कई स्तरों में बांटा गया है। स्कूल- कॉलेज में अलग-अलग स्तर के पाठ्यक्रम होते है - गणित, विज्ञान, कला आदि / शिक्षा के डिजिटल होने से सभी वर्गों के छात्रों को लाभ हुआ है । ऑनलाइन होते ही शुरुआती तौर पर सब अच्छा लगा लेकिन

क्या यहाँ इस प्रकार की शिक्षा जहां शिक्षक कहीं और मौजूद है और छात्र अपने घर पर। क्या यह शिक्षा छात्रों में वो आत्म-विश्वास भर पाएगी जो कक्षा में 20-30 सह-पाठी के साथ बैठ कर आता था । हर छात्र भिन्न होता हैऔर उसके सीखने की शक्ति भी अलग होती है । जो छात्र शर्मीले किस्म के होंगे वो अपनी परेशानी शिक्षक को कभी नही बता पाएंगे । शैतान प्रवर्ती के छात्र विडियो ऑफ और माइक ऑफ करके अपना ध्यान कहीं और ही अग्रसित कर सकते हैं । अतः जो नियमित विध्यालय जाने से अनुशासित रहने का गुण छात्रों मे विकसित होता हैं वो बढ़ते हुए नव छात्रों में बड़ी मुश्किल से आयेगा । नियमित रूप से विध्यालय जाने वाले छात्रों मे अनेक ऐसे अच्छे गुण आ जाते है जो भविष्य मे उनके विकास का कारक बनते हैं।

**डिजिटल शिक्षा प्रणाली बनाम अभिभावक** :-अभिभावक ऑनलाइन शिक्षा के शुरू के बाद अभिभावक के साथ-साथ अपने बच्चों का शिक्षक भी बन गया है। जैसे ब्लैकबोर्ड की जगह लैपटाप, टैब्लेट और मोबाइल की स्क्रीन ने ले ली। उसी प्रकार शिक्षक का छोटा स्वरूप अभिभावक को लेना पड़ा। ऑनलाइन शिक्षा के लिए ज़रूरी सारी सामग्रियाँ उपलब्ध करा के अपने बच्चों को वो माहौल प्रदान करना जिसमे वो सुचारु रूप से बिना घर की दूसरी गतिविधियों मे पड़े अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगा सकें ।

जिनके दो बच्चे हैं उनको दोनों के लिए अलग-अलग व्यवस्था करनी पड़ी। और समय-समय पर नियमित रूप से मॉनिटरिंग भी करनी पड़ती है। जब शिक्षक का समझाया हुआ बच्चे को समझ न आए तो उसे अपनी रोज़मर्रा की भाषा में समझाना भी एक बहुत बड़ा कार्य होता है । होमवर्क को समय पर अपलोड करके शिक्षक को ऑनलाइन भेजना और इस क्रिया में इंटरनेट कनैक्शन सहीरहना भी एक बड़ा कार्य है। ऐसे में अभिभावकों का सकारात्मक, सहनशील एवं धैर्यपूर्वक होना अति-आवशयक है ।

**डिजिटल शिक्षा प्रणाली बनाम शिक्षक**:- शिक्षा के ऑनलाइन होते ही शिक्षकों को अपने सारे पाठ्यक्रम को डिजिटल करना (सोफ्ट कोपी तैयार करना) सबसे बड़ा कार्य रहा है । इसके अतिरिक्त तकनीकी को समझ कर अपने छात्रों से संबंध साधना तथा प्रत्येक छात्र तक अपने विचार पहुंचाना अति सरहनीय होगा । शिक्षक भी एकआम इंसान की तरह अपने घर में वो माहौल बनाता है जिससे वह घर की गतिविधियों से दूर अपने कार्य का अच्छे से निर्वाह कर सके । एक शिक्षक के नजरिये से देखा जाए तो आसान उसके लिए भी न था । लेकिन इस संकट की घड़ी में अपने-अपने दर्जे से सबने इसको संभाला ।

**“अशिक्षित को शिक्षा दो**

**अज्ञानी को ज्ञान**

**इसी से तो बनेगा**

**अपना देश महान ”**

संकट के इस काल में सभी ने एक-जुट होकर एक अच्छा उदाहरण दिया । लेकिन प्रकटिकल, स्पोर्ट्स क्लाससेस तो आज भी अधूरी ही रह गयी। इस ‘न्यू-नॉर्मल” की धीरे-धीरे आदत हो जाएगी। शिक्षा को डिजिटल तो बनाना है लेकिन किताबों से दूर रहना नही सीखना है । ऑनलाइन पढ़ना है लेकिन लिखना नही भूलना है । क्यूंकि किताबें तो मनुष्य की हमेशा से ही सर्वश्रेस्ठ मित्र रहीं हैं।

**नेहा चौहान, वास्तुक सहायक**

**आपके शब्द, विचार और कार्य**
**आपके भाग्य का निर्माण करते हैं**
**अज्ञात**

# मेरी बिटिया

बेटी बिना नहीं सजता घरौंदा
बेटी ही है संस्कारों का परिंदा
अगर दोगे उसे भी खुला आसमांन
तो बेटी भी बढ़ायेगी परिवार का नाम ।।
बेटी का जन्म होते ही आ जाती मुस्कान
बेटी होने का एहसास होता है प्यारा
जिन्दगी के हर सुख-दुख में साथ होता है न्यारा ।।
बड़े भाग्य से मिलती हैं बेटियाँ
जिस घर में बेटी नहीं
बेटी के प्यार का एहसास नहीं
इनसे तो रोनक जीवन की,
हमारा मान है बेटियाँ ।।
बेटी माँ भी बहन भी, भाभी भी, बहू भी
सबका रोल निभाती हैं बेटियाँ
अच्छे संस्कार बेटी या बेटे के
रिश्तों का ख्याल रखती हैं बेटियाँ ।।
मेरी बेटी मेरी Princess
रखती मेरा बहुत ख्याल,
बेटी का सपना हो पूरा जो उसने देखा
भगवान से प्रार्थना है मेरी सपना हो पूरा उसका
सारी ऊचाईयाँ छू जाए बेटियाँ ।।
चांद जैसा मत बनाओ बेटियों को
बनाओ उन्हें सूरज जैसा
छूने से पहले झुकानी पड़े नज़र हर एक को ।।

**सुनीता रानी**
**उच्च श्रेणी लिपिक**

# कोरोना काल जन-जन बेहाल

**<u>प्रस्तावना:</u>** विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया है । कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस (जीव) है जो मनुष्य के बाल से 900 गुणा से भी कम है।

**<u>कोरोना वायरस क्या है और उसके लक्षण:</u>**

कोरोना वायरस एक ऐसा संक्रमण है जिसमें मनुष्य को खांसी, जुकाम, सांस लेने में परेशानी होती है। यह एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलने वाली बीमारी है।

जिस मनुष्य को कोरोना वायरस होता है उसमें खांसी, जुकाम, बुखार और सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षण पाए जाते हैं । परंतु यह जरूरी नहीं की यह सारे लक्षण कोरोना वायरस की ओर संकेत कर रहे हो।

कोरोना वायरस से वृद्ध व्यक्ति और उन मनुष्यों को ज्यादा खतरा है जिन्हें मधुमेह, अस्थमा, उच्च रक्तचाप आदि जैसी बीमारी है। इस बीमारी से मनुष्य की मृत्यु तक हो जाती है।

**<u>कोरोना वायरस से संक्रमित मनुष्य को क्या उपाय करने चाहिए:</u>**

यदि कोई मनुष्य कोरोना वायरस से संक्रमित है या किसी संक्रमित व्यक्ति से सपंर्क में आया हो और उस व्यक्ति में भी यदि संक्रमण के लक्षण पाए जाते हैं तो उस व्यक्ति को अपने प्राथमिक उपचार के पश्चात अपने आप को 14 दिनों तक आईसोलेशन में रहना चाहिए।

संक्रमित व्यक्ति को अपने परिवार और संबंधियों से दूरी बना के रहना चाहिए। एक दूसरे से बात करते समय मास्क लगाकर रहना चाहिए।

अनावश्यक इधर-उधर नहीं घूमना चाहिए। घर के अन्य लोगों के प्रयोग में आने वाली चीजों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। समय-समय पर अपने हाथों को सेनिटाइज़ करते रहना चाहिए। अपने प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए रखने के लिए पोष्टिक भोजन करना चाहिए।

**<u>कोरोना वायरस से बचाव के उपाए:</u>**

आम जनता जो इस वायरस (कोविड-19) से संक्रमित नहीं हैं उन्हें भी अपने दैनिक जीवन में इस वायरस से बचे रहने के लिए निम्नलिखित उपाय करने चाहिए:

1. सभी मनुष्यों को अपने दफ्तर, घर से बाहर और आदि सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाकर चलना/रहना चाहिए।
2. एक दूसरे के बीच 1-2 मीटर की दूरी बनाकर रहना चाहिए।
3. समय-समय पर आवश्यकता अनुसार अपने हाथ को सेनेटाइज़ या साबुन से धोना चाहिए।
4. किसी भी सार्वजनिक यातायात का कम से कम प्रयोग करना चाहिए।
5. अनावश्यक इधर-उधर घूमने से बचना चाहिए।
6. अपने घर को साफ-सुथरा रखना चाहिए।
7. दफ्तर और अन्य सार्वजनिक जगहों पर किसी भी व्यक्ति से हाथ नहीं मिलाना चाहिए।

**<u>कोरोना वायरस से हो रहे नुकसान:</u>**

कोरोना वायरस चीन के वुहांग से शुरू होकर पूरे विश्व में फैल गया जिसकी वजह से कई लोगों की मृत्यु हो गई। पूरा विश्व इस महामारी की चपेट में आ गया । इसकी वजह से विश्व के कई देशों में 1 से 3 महीने का लाकडाउन किया जिसकी वजह से कई लोगों की नौकरियाँ चली गयी । बहुत से रोजगार के अवसर बंद हो गए। भारत जैसे देश में बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर पहुँच गई है। पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा और जिन्हें मिला है उन्हें आधे वेतन पर काम करना पड़ा, अपने जीवन निर्वाह के लिए।

इस महामारी की वजह से यातायात पर भी बहुत प्रभाव पड़ा है। स्कूल, कालेज आदि सभी चीजें बंद पड़ी हैं। आज पूरा विश्व आर्थिक मंदी से गुजर रहा है। अभी तक इस बीमारी का इलाज पूरी तरह से नहीं आया है।

**<u>निष्कर्ष:</u>** इस बीमारी से बचे रहने के लिए आम जनता को जागरूक होना पड़ेगा अपने दैनिक जीवन में कोरोना से बचाव के सभी नियमों को निष्ठापूर्वक पालन करना होगा और अपने सरकार का सहयोग करना होगा । जिससे इस महामारी पर विजय पा सकें।

**रवि शंकर राय**
**कनिष्ठ आशुलिपिक**

**हिंदी हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक व्यवहार में आने वाली भाषा है**

# सलाम है इन्सान के जज्बे को

सलाम है इन्सान के जज्बे को
टूटकर बिखरना और फिर सँभलना,
महामारी का दौर कब न था
फिर भी सँभला और अच्छे से निखरा
फिर भी अभी मातम सा पसरा ।

विलुप्त हो गए कई प्राणी दुनिया से
हर बार कुछ ही बच पाए महामारी से
एक इन्सान ही थाजो खड़ा रहा
नए-नए प्रयोग करता रहा
अपने अस्तित्व को बचाने के लिए

हर बार जीने का जुनून लेकर निकला
चाहे कितना भी हो रास्ता सँकरा,
हर जगह मातम सा पसरा ।
विज्ञान की राह से,तकनीकी सहाय से
समस्या का सामाधान निकला

टीके के रूप में,कोरोना का निदान निकला,
आज फिर इसी वजह से इन्सान सँभला
फिर भी हर जगह मातम सा पसरा ।

**राजबीर सिंह**
**हिन्दी टंकक**

# कोरोना काल-जन जन बेहाल

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने कोरोना नामक वायरस को विश्वव्यापी महामारी घोषित कर दिया है । कोरोना वायरस बहुत सूक्ष्म मगर बहुत प्रभावी वायरस है । कोरोना वायरस मानव के एक बाल से 900 गुना छोटा है। कोरोना वायरस(COVID-19) वायरस के एक ऐसे परिवार से संबध रखता है जिसके कारण बुखार,खांसी,गले मे खराश इत्यादि लक्षण होते है। यह वायरस इंसानों से इंसानों में फैलता है । कोरोना वायरस दिसम्बर, 2019 में चीन देश के वुहान शहर में पहली बार पाया गया। इस वायरस ने वुहान शहर में पहली बार पाया गया । इस वायरस ने वुहान शहर में कई लोगों की जान ली । चीन से अन्य देशों में यात्रा किए गए लोगों के कारण यह वायरस मानव शरीर से दूसरे मानव शरीरों में जाने लगा । जिसके कारण आज 70 से ज्यादा देश कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते इस महामारी से जूझ रहे हैं । कोरोना वायरस के संक्रमण से जन-जन बेहाल हुए ।

**पलायन:-**कोरोना वायरस के भारत में आगमन होते ही प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा देश में 25 मार्च 2020 से लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई । दिल्ली,मुम्बई जैसे मेट्रोसिटि/शहरों में अन्य शहरों से आए ध्याड़ी मजदूरों के पास ना आमदनी का स्त्रोत था,ना खाने का । मजदूरों को कई हजार किलोमीटर पैदल यात्रा कर अपने घर जाना पड़ा । इस दौरान कई लोगों की मृत्यु हुई ।

**इलाज ना मिलने कारण:-** सरकार द्वारा कोरोना वायरस से लड़ने के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। मगर निचले तबके के ध्याड़ी मजदूरों एवं अन्य निचले वर्गो के लोगों को सही समय पर सही इलाज ना मिल पाने के कारण उनकी मौत हो गई।

**परीक्षाएं टाली गई:-** कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनज़र 10वीं,12वीं अन्य सभी परीक्षाओं को टाल दिया गया । परन्तु जब इस महामारी ने रूकने का नाम नहीं लिया तो विद्यार्थियों को एवरेज़ अंक देकर उत्तीर्ण करना पड़ा । कोरोना वायरस का टीका बनाने के लिए सभी देशों के जहीन दिमाग दिन-रात कार्य कर रहे हैं । परन्तु आज तक कोरोना-वायरस का टीका कोई भी देश तैयार नहीं कर सका है जिसके चलते अमेरिका,रूस,चीन एवं भारत जैसे देशों में लाखों की संख्या में मौते हो रही है।

**नौकरी/व्यवसाय पर असर:-**कोरोना वायरस के तीव्र संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन लगाया गया। लॉकडाउन ही एक ऐसा हथियार था। जिससे कोरोना वायरस से बचाव किया जा सकता था । परन्तु लॉकडाउन के चलते सभी फैक्ट्रियां/दुकानों/कम्पनियों इत्यादि की आमदनी बन्द हो गई एवं उन्होंने अपने कर्मचारियों की छटनी करनी शुरू कर दी। छटनी का असर यह हुआ कि कई हजारों/लाखों लोगों का रोजगार छिन गया ।

**होटल/यात्रा ऐजेंसियों (Tour Operators) का बुरा हाल**:- कोरोना वायरस के चलते सभी व्यवसायों पर बुरा असर पड़ा परन्तु होटल एवं यात्रा से संबंधित सभी एजेंसियों पर रोक लगी रही। जिसके कारण उनकी आमदनी बन्द हो गई और उन्होंने अपने कई कर्मचारियोंको निकाल दिया। जिसके कारण बेरोजगारी फैल गई ।

**नौकरी पैशा वाले लोगों पर असर:-**कोरोना वायरस बहुत सूक्ष्म और प्रभावी होने कारण एक-दूसरे से दूरी बनाया जाना बहुत आवश्यक था । परन्तु  सभी पहलुओं पर विचार-विमर्श के पश्चात् 20 अप्रैल,2020 से कुछ कार्यालयों एवं आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने वाले विभागों को बदल-बदल कर(rotational basis)कार्यालय में जाने की अनुमति दी गई । परन्तु मेट्रो,बस एवं अन्य सार्वजनिक वाहनों को चलने की अनुमति नहीं दी गई। कोरोना वायरस के खतरे के चलते आज तक मेट्रो की सेवा को बहाल/शुरू नहीं किया गया ।एक बस में 20 से ज्यादा यात्री बैठाना सख्त मना है । एक–दूसरे से उचित दूरी Social distancing)बनाना बेहद जरूरी है । परन्तु सभी लोगों के पास वाहनों की सुविधा उपलब्ध नहीं है। वे लोग सार्वजनिक वाहनों (Public Transport) पर निर्भर करते है । मेट्रों केना चलने एवं बस स्टेंडो पर भीड लगने के कारण कोरोनो वायरस एक से दूसरे में फैलने लगा और जो प्राईवेट नौकरी करते थे उनकी नौकरियां जाने लगी ।

**कोरोना वायरस का बच्चों पर असर:-** कोरोना वायरस के चलते भारत सरकार ने कई कदम उठाए। जिनमें से एक कदम स्कूलों का बंद करना भी था । जिन लोगों के घरों में 5 वर्ष से छोटे बच्चे हैं उन्हें अधिक सतर्क रहने के भी निर्देश दिए गए।

परन्तु लॉकडाउन के चलते और एक-दूसरे से उचित दूरी बनाए रखने की गाइड लाईंस के अनुपालन के कारण बच्चों को डिजिटल शिक्षा (Online Classes) दी जाने लगी । स्कूलों द्वारा ऑनलाइन क्लासेस,एक्टिविटि इत्यादि सभी मोबाईल, लैपटॉप आदि उपकरणों से करवाई जाने लगी। जिसके कारण बच्चों में सिर दर्द, ऑखों में दर्द इत्यादि होने लगा। बच्चों को आउट-डोर खेल करने से मना किया। घरों में कैद बच्चों को मानसिक तनाव आदि होने लगा ।

बच्चों ने डिजिटल शिक्षा प्रणाली के चलते अच्छी शिक्षा ली। परन्तु प्रत्येक के पास मोबाइल (Android)एवं नेट की सुविधा नहीं होती । प्रत्येक के माता-पिता अभिभावक इतने पढ़े-लिखे नहीं होते की Online classes की जरूरतों को समझ सकें या पूरा कर सकें । इसलिए डिजिटल शिक्षा प्रणाली का सभी बच्चे उपयोग नही कर सके ।

**कोरोना वायरस से बचाव एवं रोकथाम:-** कोरोना वायरस बहुत ही सूक्ष्म होता है । यह किसी व्यक्ति की छींकने के कारण बहुत छोटी-छोटी बूँदो से भी फैलता है । यह वायरस बहुत ही प्रभावशाली है । अत: इससे बचने के लिए निम्नलिखित बहुत जरूरी है:-

1. सदैव मुहँ और नाक पर अच्छे से मास्क (तीनलेयर वाला) लगाना चाहिए । कम से कम 20 सेकन्ड तक हाथ धोना चाहिए ।
2. हैंड एवं सेनिटाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए ।
3. एक-दूसरे से उचित दूरी बनाई रखनी चाहिए ।
4. हाथ मिलाना नहीं चाहिए ।
5. भीड़ में नहीं जाना चाहिए ।

**दीपक चन्द्र बन्दूणी**
**अवर श्रेणी लिपिक**

## सामान्य पूल आवासीय आवास (जी.पी.आर.ए) कालोनियों के लिए पुनर्विकास की रणनीतियाँ

**(पारुल कपूर-पूर्णकालिक सलाहकार, दि.न.क.आ.)**

टिकाऊ डिजाइन और इंजीनियरिंग के सामजंस्य से कुशल योजना समय की आवश्यकता है, विशेष तौर पर जब हमारे शहरों में गुणवत्ता वाले स्थान समाप्त हो रहे हैं । पुनर्विकास, चुनौती पूर्ण प्रक्रिया है ,क्योंकि इसमें आवश्यक वस्तुओं को संरक्षित करने की आवश्यकता है ।

समुदाय का स्वरुप और उन्नत डिजाइन नवीन विचारों के साथ समेकित होते हैं जो कि समाज की वर्तमान आवश्यकताओं को पोषित करते हैं। सामान्य पूल आवासीय आवास (जी.पी.आर.ए) परियोजनाओं की ऐसी श्रृंखला है जिसके लिए दि.न.क.आ. को पारिस्थितिकी, गतिशीलता, पहचान और खुले स्थानों की गुणवत्ता के तत्वों को ध्यान में रखते हुए एक समग्र दृष्टि के साथ संपर्क करने की आवश्यकता है । चूंकि इनमें से अधिकांश विकास बड़े, परिपक्व हरित आवरण वाले क्षेत्रों में स्थित हैं, अत: दि.न.क.आ.जैसे अनुमोदन निकायों के लिए पारिस्थितिकी का संरक्षण सर्वोच्च प्राथमिकता है ।

दि.न.क.आ.द्वारा प्राप्त परीक्षित जी.पी.आर.ए परियोजनाएं अक्सर वाहनों की पार्किंग को समायोजित करने के लिए नियमों (एम.पी.डी-2021, यू.बी.बी.एल 2016 आदि के अनुसार) के आधार पर बड़े पार्किंग बुनियादी ढांचे (बेसमेंट के रूप में) की आवश्यकता को संज्ञान में लेती हैं। इनकी आवश्यकता है पेड़ काटने की अपरिहार्य संख्या, जो पारिस्थितिकी को अत्यधिक असंतुलित करती है ।

पेड़ काटने के मानदंड, अस्पष्ट होने के कारण, अक्सर परिपक्व और देशी वृक्ष प्रजातियों को क्षति होती है और इस प्रकार जैव विविधता की बड़ी श्रेणी की हानि होती है । भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण (ए.ए.आई) विकास नियंत्रण सहित अन्य प्रतिबंध, निर्मित रूप (बिल्ड फॉर्म) की ऊंचे

भवनों  को सीमित करते हैं, इस प्रकार ऊंचे विकास के लाभ को रोकते हैं । इसके अलावा, विकास को अक्सर अलग से विचार किया जाता है और आम जनता के लिए रास्ते के अधिकार को काटने और चलने योग्य बनाने  और टी.ओ.डी के विचार को खत्म करने वाले गेटेड द्वीपों के रूप में डिजाइन किया गया है। ये एक साथ शहर के ताने-बाने के लिए खतरा पैदा करते हैं क्योंकि यह मानव स्तर को कम करता है और इसके बजाय कंक्रीट जंगलों का निर्माण करता है ।

साइट नियोजन से यह भी पता चलता है कि गर्म द्वीप प्रभाव को कम करने के लिए हमें कठोर सतहों पर हरित आवरण की वृद्धि को प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके अलावा, चूंकि प्रत्येक परिसर में फसाड नियत्रण में एकरूपता नहीं है, वे समग्र रूप से परिसर में पहचान लाने में विफल होते हैं।

अंत में, सार्थक खुले स्थानों का निर्माण, जिसे विकास के बीच साझा किया जा सकता है, मौजूदा शहर के बुनियादी ढांचे (सामाजिक और मनोरंजक बुनियादी ढांचे सहित) से अधिकतम प्राप्त करने के लिए, हमें इसकी समीक्षा करने के लिए मजबूर करता है। अलग-अलग विकास का अभ्यास और ऐसे विकासों के लिए मानदंड/बेंचमार्क का पुनर्मूल्यांकन करना है । आर्किटेक्ट्स, प्लानर्स और शहरी वादियों के रूप में हमारा प्रयास पारिस्थितिक और निर्मित ताने-बाने को संतुलित करने के लिए समावेशी, टिकाऊ और कार्यात्मक रिक्त स्थान की कल्पना करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि वे सामजंस्य के साथ सह-अस्तित्व में हों ।

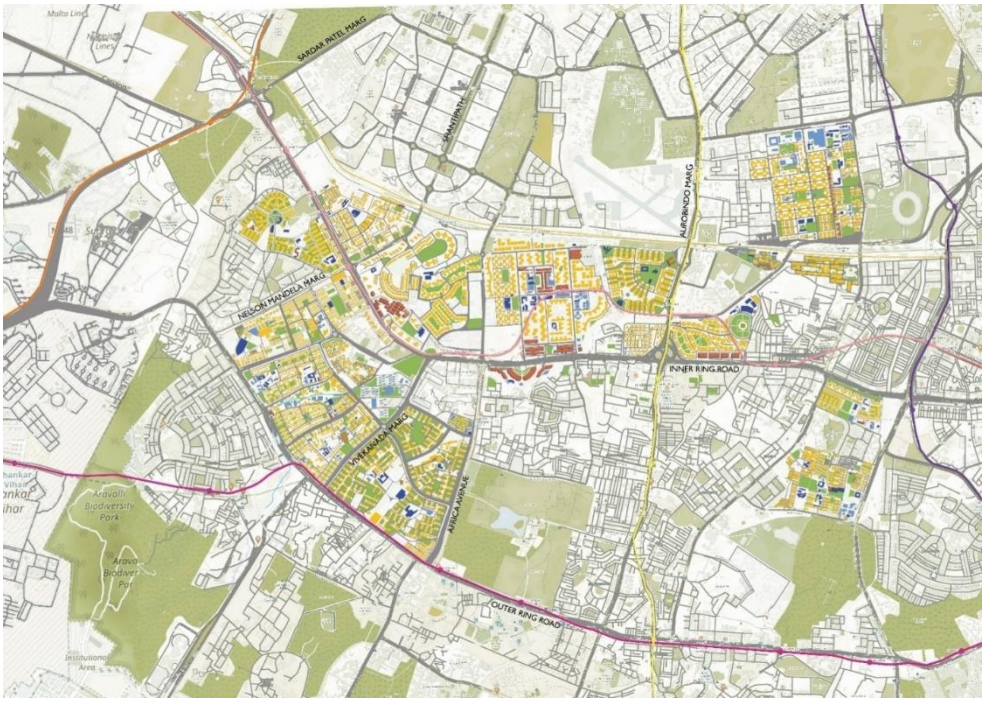

# हिंदी भाषा से सम्बंधित सूक्तियां

1. राष्ट्रीय व्यवहार में हिंदी को काम में लाना देश की एकता और उन्नति के लिए आवश्यक है ।

***महात्मा गांधी***

2. भाषा की सरलता, सहजता और शालीनता अभिव्यक्ति को सार्थकता प्रदान करती है हिंदी ने इन पहलुओं को खूबसूरती से समाहित किया है ।

***नरेंद्र मोदी (प्रधान मंत्री)***

3. भारतीय सभ्यता की अविरल धारा प्रमुख रुप से हिंदी भाषा से ही जीवंत तथा सुरक्षित रह पाई है।

***अमित शाह (गृह मंत्री)***

4. हिंदी भाषा एक ऐसी सार्वजनिक भाषा है, जिसे बिना भेद-भाव प्रत्येक भारतीय ग्रहण कर सकता है ।

***मदन मोहन मालवीय***

5. हिंदी राष्ट्रीयता के मूल को सींचती है और उसे दृढ़ करती है ।

***पुरुषोत्तम दास टंडन***

6. हिंदी हमारे राष्ट्र की अभिव्यक्ति का सरलतम स्रोत है ।

***सुमित्रानंदन पंत***

7. हिंदी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है ।

***डा. सम्पूर्णानंद***

8. भारतीय भाषाएं नदियां है और हिंदी महानदी ।

***रवींद्रनाथ ठाकुर***

9. हिंदी जैसी सरल भाषा दूसरी नहीं है ।

***मौलाना हसरत मोहानी***

10. हिंदी द्वारा सारे भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है ।

***स्वामी दयानंद***

11. समस्त भारतीय भाषाओं के लिए यदि कोई एक लिप आवश्यक हो तो वह देवनागरी ही हो सकती है।

***जस्टिस कृष्ण स्वामी अय्यर***

12. वही भाषा जीवित और जागृत रह सकती है जो जनता का ठीक-ठाक प्रतिनिधित्व कर सके और हिंदी इसमें समर्थ है ।

***पीर मुहम्मद मूनिस***

13. देवनागरी ध्वनि शास्त्र की दृष्टि से अत्यंत वैज्ञानिक लिपि है ।

***रवि शंकर शुक्ल***

14. हिंदी चिरर्काल से ऐसी भाषा रही है जिसने मात्र विदेशी होने के कारण किसी शब्द का बहिष्कार नहीं किया ।

***डा. राजेंद्र प्रसाद***

15. आप जिस तरह बोलते हैं, बातचीत करते हैं, उसी तरह लिखा भी कीजिए । भाषा बनावटी नहीं होनी चाहिए ।

***महावीर प्रसाद द्विवेदी***

दिल्ली नगर कला आयोग
कोर - 6ए, यू. जी. तथा पथम तल,
भारत पर्यावास केन्द्र, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003
दूरभाष : 011- 24619593